प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्त्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु सौंपे गये तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (त.मा.प.) के अनुसार, झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य के संबंधित विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वर्ष 2015-16 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा में पाये गये दृष्टांतों के साथ-साथ, जहाँ कहीं भी आवश्यक है, वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, परन्तु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे तथा 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित वे दृष्टांत भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गयी है।